न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 09/16 सन् 2016

आरसीएमएस संख्या 2016/00343

बउनवानीः–धोली पुत्री भोरया पत्नि रामसहाय जाति मीना निवासी रामडी हाल निवासी जडावता तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कन्हैया पुत्र सांवल्या मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 481 निर्णय दिनांक 17.6.2015 वाके ग्राम रामडी तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल वकील अपीलान्ट

2. श्री पारस मल जैन वकील रेस्पो. 1

–: निर्णय :– **दिनांक 21.10.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 481 निर्णय दिनांक 17.6.2015 वाके ग्राम रामडी तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना रेस्पों. संख्या एक द्वारा पटवारी हल्का व सरपंच से साझ कर भराये गये नामा0 को तस्दीक किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। यह तर्क भी दिया कि विरासत का नामा0 खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को था किन्तु तहसीलदार ने ग्राम पंचायत का अधिकार समाप्त कर स्वंय के अधिकार का होना मानकर आदेश जैर अपील तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के सजरा खान दान की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक कन्हैया, सांवल्या पुत्र गुलाबा का एक मात्र पुत्र है तथा सांवल्या की जमीन जायदाद पर बतौर पुत्र काबिज है उक्त तथ्य की जानकारी पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत को होते हुए भी कन्हैया को भोरया का पुत्र मानकर तथा धोली का सगा भाई मानकर जो रिपोर्ट पटवारी हल्का व सरपंच द्वारा की गयी है वह खिलाफ कानून होने के कारण काबिले निरस्त है। क्योकि भोरया के एक मात्र पुत्री अपीलान्ट है उसकी एक मात्र वारिस है भोरया के कोई पुत्र संतान नही है और ना ही भोरया ने कभी कन्हेया या अन्य किसी को गोद लिया है। कन्हेया अपने पिता सांवल्या का एक मात्र लडका है जो सांवल्या के खान दान का नाम चलाता है ऐसी स्थिति में कन्हैया को भोरया का पुत्र मानकर नामा0 तस्दीक करने का आदेश दिया है जो काबिले निरस्त है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीया को दिनांक 22.2.2016 को पटवारी हल्का से के.सी.सी.बनाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने पर प्राप्त होने पर नामा0 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः आदेश जैर अपील की जानकारी होने से नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। क्योकि गुलाबा के दो पुत्र सांवल्या व भौरया थे सावंल्या गुलाबा के जीवनकाल मे ही फोत हो गया था। जब सांवल्या फोत हुआ तो सांवल्या की पत्नि ने भोरया से नाता विवाह कर लिया था जिससे रेस्पो. का जन्म हुआ है। चूंकि रेस्पो. का जन्म भोरया की नाता विवाहिता पत्नि से हुआ था इसलिए भोरया द्वारा रेस्पो. को अपना पुत्र माना है एवं रेस्पो. भोरया का पुत्र बनकर ही रहा है। यह तर्क भी दिया कि गुलाबा की मृत्यु के समय गुलाबा के एक मात्र जीवित पुत्र भोरया ही था इसलिए उसकी सम्पूर्ण

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आराजीयात का विरासत का नामा0 संख्या 200 दिनांक 11.10.1977 से भोरया के नाम तस्दीक किया गया। चूंकि रेस्पो. कन्हेया का जन्म मृतक सांवल्या की पत्नि से भोरया से नाता विवाह के बाद हुआ था इसलिए भोरया के विधिक वारिसान अपीलान्ट व रेस्पो. है। जब भोरया फोत हुआ तो तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने आदेश जैर अपील से भोरया की विरासत का नामा0 भोरया के दोनो विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पो. के नाम तस्दीक किया है। भोरया की अन्य खातेदारी भूमि ग्राम तिन्दू का ग्राम पंचायत तिन्दू द्वारा नामा0 संख्या 216 दिनांक 5.12.2015 को विधिवत तरीके से अपीलान्ट व रेस्पो. के नाम तस्दीक किया गया है। तथा राशन, कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में भी रेस्पों के पिता का नाम भोरया ही अंकित है। यह तर्क भी दिया कि यदि अपीलान्ट को सांवल्या का पुत्र भी मान लिया जावे तब भी वह अपीलान्ट व रेस्पो. के दादा गुलाबा की विरासत का 1/2 हिस्सा लेने का अधिकार रखता है एवं आदेश जैर अपील से भी अपीलान्ट को गुलाबा की विरासत का 1/2 हिस्सा ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट ने रेस्पो. कन्हेया को मृतक सांवल्या का पुत्र होना बताया गया है किन्तु भोरया द्वारा गुलाबा की विरासत का 1/2 हिस्सा सांवल्या के पुत्र के नाम नही करवाकर अपने ही नाम क्यो करवाया गया के संबंध में कोई तर्क संगत जवाब नही दिया गया। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि भी पेश नही किया गया जिसके आधार पर यह साबित होता हो रेस्पो. सांवल्या का पुत्र हो। वकील रेस्पो. के कथनानुसार गुलाबा के दो पुत्र सावल्या व भोरया थे किन्तु सांवल्या अपने पिता गुलाबा के जीवनकाल में फोत हो जाने के कारण उसकी पत्नि ने भोरया से नाता विवाह कर लिया एवं भोरया से नाता विवाह करने के बाद रेस्पो. कन्हैया का जन्म हुआ है इस आधार पर रेस्पो. कन्हैया भोरया का पुत्र है तथा कन्हैया की मॉ एवं भोरया की पत्नि से अपीलान्ट धोली का जन्म हुआ है इसलिए अपीलान्ट एवं रेस्पो. को भोरया के विधिक वारिसान मानते हुए तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील संख्या 481 निर्णय दिनांक 17.6.2015 वाके ग्राम रामडी का भरकर तस्दीक किया गया है तथा भोरया की अन्य खातेदारी भूमि ग्राम तिन्दू का ग्राम पंचायत तिन्दू द्वारा नामा0 संख्या 216 दिनांक 5.12.2015 को विधिवत तरीके से अपीलान्ट व रेस्पो. के नाम तस्दीक किया गया है। वकील रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की प्रतियों में भी रेस्पो. के पिता का नाम भोरया ही अंकित है। इसके अतिरिक्त नामा.संख्या 216 के विरूद्व उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मे प्रस्तुत अपील मे पारित निर्णय दिनांक 8.6.2018 मे भी रेस्पो. को अपीलान्ट का भाई मानते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवादग्रस्त आराजीयात को लेकर पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय मे एक वाद पत्र उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत जैरकार है जिसमे पक्षकारान के अधिकार तय होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.19 17:26:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: